These are the three Bills we are discussing. In the beginning, hon. Chairman informed you about it. I am also telling regarding this all the time. But don't deviate from the rules, please. My request will be, please don't deviate from the rules.

**डा. अशोक कुमार मित्तल** (पंजाब) : उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद आपने मुझे जम्मू कश्मीर से संबंधित इन तीन बिलों पर बोलने का अवसर दिया - दि जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज़ लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024, दि कॉन्स्टिट्यूशन (जम्मू एंड कश्मीर) शैड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2024 और दि कॉन्स्टिट्यूशन (जम्मू एंड कश्मीर) शैड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2024.

सर, मैं जम्मू-कश्मीर के बदलते हुए हालात के बारे में एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा -

*"हमारी एक पीढ़ी ने जम्मू और कश्मीर को*
*अलगाववाद की आग में झुलसते देखा है,*
*आंतकवाद की तेग में तड़पते देखा है,*
*और सांप्रदायिक अतिवाद के तूफान से लड़ते देखा है,*
*लेकिन अब दौर आ गया है अलगाववाद की जगह राष्ट्रवाद का,*
*आतंकवाद और अतिवाद की जगह लोकतांत्रिक संवाद का,*
*एक दौर था जब युवाओं के चेहरों पर नकाब और हाथों में पत्थर था,*
*पर अब उन्हीं युवाओं हाथों में काबिलियत की डिग्री और*
*आंखों में सफलता की आशा है।*
*एक दौर था जब कश्मीर की महिलाएं और बच्चे*
*आतंक के साये में अपनी उम्मीदों को झोंक देते थे,*

*लेकिन अब उन्हीं उम्मीदों को अवसरों के पंख लगाकर नई गति दे दी है।"*

सर, यह पूरी भारत सरकार और इस सदन किया है। यह बिल हमारी लोकल बॉडीज़ में ओबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू शैड्यूल्ड कास्ट्स की कुछ कास्ट्स को आरक्षण देने की बात कर रहा है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की कुछ कास्ट्स को आरक्षण देने की बात कर रहा है, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। इससे समाज के पिछड़े वर्ग को वे अधिकार प्राप्त होंगे, जिसके लिए वे अभी तक वंचित थे। सर, इस बिल में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगी। बिल में कहा गया है कि सभी स्थानीय निकायों के चुनाव जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बजाय एक राज्य चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। यह डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का एक अच्छा स्टेप है और बहुत सराहनीय है, जिसमें राजा राज्य चुनाव आयुक्त होगा। मैं भारत सरकार की इस पहल के लिए उनको बधाई देना चाहूंगा।

सर, सरकार ने जब धारा 370 हटाने का निर्णय लिया, तब हमारी आम आदमी पार्टी ने उसका पुरजोर समर्थन किया था और उसके पक्ष में मतदान किया, क्योंकि हमारी पार्टी को इस बात का संज्ञान था कि इन सबसे शैक्षणिक सुधार आएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल विकास होगा, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और समाज कल्याण के भी बहुत से मुद्दे हैं, जिनका लाभ वहां के लोगों, पिछड़े समाज और अन्य समाज को मिल पाएगा। सर, हमें खुशी है और पूरे देश को खुशी है कि इन सब

कदमों से वहां की हिंसक घटनाएं, जो कि एक पैरामीटर होती हैं, उनमें कमी हुई है। 2004 से 2014 के बीच कुल 7,217 घटनाएं हुईं, लेकिन 2014 से 2024 में ये कम होकर 2,224 रह गई हैं, यानी 69 प्रतिशत कम हो गईं, इसके लिए पूरा भारत बधाई का पात्र है। (2L/AKG पर जारी)

AKG-SSS/2L/1.50

**डा. अशोक कुमार मित्तल (क्रमागत)** : सर, वहाँ बहुत अच्छा माहौल बना और उसी अच्छे माहौल को देखते हुए भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जी20 का सफलतापूर्वक आयोजन किया, उसके लिए भी पूरा सदन बधाई का पात्र है। जम्मू-कश्मीर आगे बढ़े, इसमें टूरिज्म एक बेहतर रोल अदा कर सकता है। हमें खुशी है कि वहाँ 2 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुँचे हैं, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को पैसा मिल रहा है और शैड्यूल्ड कास्ट्स को, छोटे तबकों को अपनी रोजी-रोटी कमाने के और अवसर पैदा हो रहे हैं। वहाँ का जीडीपी भी 8 प्रतिशत पर ग्रो कर रहा है। इसके लिए भी हमें सराहना करनी चाहिए।

सर, ये कुछ अच्छे कदम हैं, जो वहाँ की सरकार ने लिए, भारत सरकार ने लिए, लेकिन मैं थोड़ी सी बातों पर इस सदन का और सरकार का संज्ञान चाहूँगा। वहाँ पर कैपिटा इनकम 1,70,000 है, जो कि हमारे देश की नेशनल एवरेज 1,97,000 से कम है। वहाँ इन्फ्लेशन भी 6.9 परसेंट है, जो भारत के एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, जिसमें 42 सेक्टर्स में 85 हजार करोड़ का निवेश लाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 414

यूनिट्स आई हैं, जिनमें सिर्फ 2,500 करोड़ का निवेश आया है। जम्मू-कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वह इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे और इसका संज्ञान ले।

सर, जम्मू-कश्मीर में नदियाँ बहती हैं, तो वहाँ हाइडल पावर का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन 2023 की कैग रिपोर्ट के मुताबिक 1,725 मेगावॉट के 374 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में भी 4 साल से 7 साल की देरी हुई है, जिससे एक तरफ प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ जाती है और दूसरी तरफ, एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वह हम लूज़ कर जाते हैं।

सर, इस बिल के माध्यम से हम वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में और बाकी सब में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दे रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश की आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा ओबीसी है, लेकिन उसके लिए एक डेडिकेटेड मंत्रालय नहीं है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि वह इसके बारे में विचार करे।

सर, मैं इन तीनों बिलों का समर्थन करते हुए अपनी बात जम्मू-कश्मीर के बारे में इन छोटी सी पंक्तियों से खत्म करना चाहूँगा,

*"पहाड़ों के जिस्मों में बर्फों की चादर,*
*चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर,*
*हसीं वादियों में महकती है केसर,*
*कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर,*
*है कश्मीर धरती के जन्नत का मंजर।"*

धन्यवाद।

(समाप्त)